ई.12012/01/2015-हिन्दी /911-981

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

(हिन्दी अनुभाग)

*****

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,

नई दिल्ली, दिनांक: 22/6/2017

परिपत्र

विषय: केन्द्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी भाषा तथा हिन्दी आशुलिपि और टंकण का प्रशिक्षण देने के संबंध में।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 04/06/2015 के संकल्प के अनुसार सभी क्षेत्रों (अर्थात् 'क', 'ख' और 'ग') स्थित केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 2025 तक हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जाना अपेक्षित है। अतः मंत्रालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र के साथ संलग्न प्रोफार्मा में सूचना भरकर हिन्दी अनुभाग को यथाशीघ्र अनिवार्यतः भेजने का कष्ट करें ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि कितने अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त प्रशिक्षण दिलवाया जाना अपेक्षित है।

उल्लेखनीय है कि हिन्दी भाषा तथा हिन्दी आशुलिपि और टंकण के प्रशिक्षण संबंधी सूचना समेकित करके राजभाषा विभाग को भी भिजवाई जानी होती है।

22/6/2017

(वीना सत्यवादी)

सहायक निदेशक (रा.भा.)

सेवा में,

1. मंत्रालय के सभी अधिकारी/कर्मचारी।
2. मंत्रालय के सभी अनुभाग/डेस्क/सैल।
3. निदेशक, एनआईसी, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय। अनुरोध है कि कृपया परिपत्र को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

प्रोफॉर्मा

क्र.सं	नाम व पदनाम	शैक्षिक योग्यता	मातृभाषा	हिन्दी किस स्तर (कक्षा) तक पढ़ी है	शिक्षा का माध्यम	हिन्दी आशुलिपिक जानते हैं या नहीं	हिन्दी टंकण जानते है या नहीं	सेवानिवृत्ति की तारीख	हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)